फर्द अहकाम

नाम न्यायालयः- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

सीताराम बनाम कैलाश।

या 22/23 (2023/79)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1 लगायत 3 काबिज काश्त होकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है। सुविधा का सन्तुलन भी उभय पक्षों के दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होकर काबिज काश्त होने से उभयपक्षों के हक में सिद्ध होता है। अपूर्णनीय क्षति होना सम्भावित है, चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित रहेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 तफ्सीसला मूलवाद स्वीकार किया जाकर उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम कानड़वास स्थित आराजी खसरा नम्बर 314/102 रकबा 0.9783 हे० में मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।	

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		यह निर्णय आज दिनांक 24/04/25 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर